

मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2020 को अपराह्न 3.30 बजे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (एस0एम0ए0ई0/आत्मा कार्यक्रम) के राज्य प्रसार कार्ययोजना (SEWP) 2020-21 को अनुमोदित करने हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2020 को अपराह्न 3.30 बजे से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (एस0एम0ए0ई0/आत्मा कार्यक्रम) के राज्य प्रसार कार्ययोजना (SEWP) 2020-21 पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु बैठक आयोजित की गई।

उपस्थिति पत्रक अलग से संधारित।

प्रस्ताव संख्या-01 : वर्ष 2020-21 में Sub Mission on Agricultural Extension (SMAE) /ATMA योजनान्तर्गत राज्य प्रसार कार्य योजना (SEWP) के अनुमोदन के संबंध में।

प्रस्तावित राज्य प्रसार कार्ययोजना - (SNO Cell/ SAMETI/ ATMA)
रु0 4823.13 लाख (केन्द्रांश-रु0 2746.57800 लाख एवं राज्यांश
रु0 2076.55200 लाख) का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :

संक्षिप्त विवरणी

(राशि लाख में)

S. No.	Activity	Total Fund Requirement	Contribution from the scheme	State Contribution
1	State Nodal Cell (Total of Table No. 6-A)	4.40000	2.64000	1.76000
2	SAMETI (Total of Table No. 6-B) - Excluding establishment	37.92966	22.75780	15.17186
	Sub Total (1+2)	42.32966	25.39780	16.93186
3	ATMA at District Level			
I	Farmers Oriented activities (B. 1-7)	564.15500	338.49300	225.66200
II	Farm Information dissemination (B.8-10)	177.04000	106.22400	70.81600
III	R-E-F Linkages (B.11-13)	84.20000	50.52000	33.68000
IV	Administrative expenses - Recurring (B.14 & B.15)	302.05642	181.23385	120.82257
V	Innovative Activities - State & District Level	0.00000	0.00000	0.00000
VI	ITD Components (New Initiatives)	0.00000	0.00000	0.00000
	Sub Total (I+II+III+IV)	1127.45142	676.47085	450.98057
4	Innovative Activities - District Level	0.00000	0.00000	0.00000
	Setting up CRS	0.00000	0.00000	0.00000
5	Establishment			
a	State Level	18.26400	10.95840	7.30560
b	District Level	291.45960	174.87576	116.58384
c	Block Level	1870.62532	1122.37519	748.25013
d	Village Level	1473.00000	736.50000	736.50000
	Sub Total (a+b+c+d)	3653.34892	2044.70935	1608.63957
	Grand Total	4823.13000	2746.57800	2076.55200

संयुक्त, सचिव (प्रसार), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के F. No. - 9-2/2020-AE दिनांक-10.04.2020 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन/आत्मा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों (60:40), कृषक मित्र (50:50) के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रु0 2746.57800 लाख एवं राज्यांश रु0 2076.552 लाख कुल रुपये 4823.13 लाख रुपये (अड़तालीस करोड़ तेईस लाख तेरह हजार रुपये) की राज्य प्रसार कार्य योजना (SEWP) 2020-21 तैयार की गई।

संयुक्त, सचिव (प्रसार), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के F. No. - 9-2/2020-AE दिनांक-16.04.2020 के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के द्वारा दिनांक - 15.05.2020 को राज्य प्रसार कार्य योजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया।

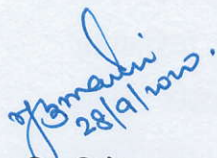
उपरोक्त राज्य प्रसार कार्य योजना (SEWP) 2020-21 पर भारत सरकार द्वारा कुल 4823.13 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश मद के तहत रु0 1446.14 लाख विमुक्त किया गया। फलस्वरूप विभाग द्वारा कुल 4823.13 लाख की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या-08 दिनांक - 28.07.2020 के द्वारा प्रदान किया गया, जिस पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है।

निर्णय :

राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) द्वारा सर्वसम्मति से राज्य प्रसार कार्य योजना (SEWP) 2020-21 (केन्द्रांश-रु0 2746.57800 लाख एवं राज्यांश रु0 2076.55200 लाख कुल रु0 4823.13 लाख) पर निम्नलिखित निदेशों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई -

- योजना कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्गत आत्मा मार्गदर्शिका का अक्षरशः पालन कराया जाय।
- राज्य प्रसार कार्य योजना 2020-21 में निहित कृषि एवं संबद्ध प्रसार गतिविधियों का कार्यान्वयन अनुसंगी विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसका अनुमोदन आत्मा शासकीय निकाय से प्राप्त कर लिया जायेगा।
- एसएम0एम0ए0ई0/आत्मा कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा लागू अद्यतन सरकारी दिशा-निदेश के आलोक में किया जाय।
- योजनान्तर्गत सम्पादित गतिविधियों को ससमय आत्मा वेबसाईट पर अद्यतन करते हुए विभिन्न प्रसार गतिविधियों के तहत लाभुको की सूची वेबसाईट पर अपलोड कराया जाय तथा विभिन्न गतिविधियों का Documentation कराया जाय।
- कृषक पाठशाला एवं प्रत्यक्षण कार्य के गतिविधियों का GEO Tagging सुनिश्चित किया जाय।
- राशि का हस्तांतरण DBT की प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाय।
- योजना से संबंधित पूरी विवरणी संबंधित पंचायत के मुख्य मार्ग पर Display Board/Wall Writing के माध्यम से कराया जाय।
- योजना से संबंधित सफलता की कहानी संकलित कर आत्मा के वेबसाईट पर अपलोड कराने के साथ-साथ Documentation भी कराया जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।


28/9/2020

कृषि निदेशक

-सह- स्टेट नोडल

पदाधिकारी,

आर0के0भी0वाई, झारखण्ड,
राँची।


28/9/2020

सचिव

कृषि, पशुपालन एवं
सहकारिता विभाग, झारखण्ड,
राँची।


28/9/2020

मुख्य सचिव

-सह- अध्यक्ष राज्यस्तरीय
स्वीकृति समिति, झारखण्ड,
राँची।

कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 756

राँची/दिनांक : 6/10/2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ निदेशक, उद्यान, झारखण्ड, राँची/निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची/निदेशक, मत्स्य, झारखण्ड, राँची/कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची/निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
6/10/2020
कृषि निदेशक,

-सह- स्टेट नोडल पदाधिकारी, आर०के०भी०वाई०,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 756

राँची/दिनांक : 6/10/2020

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/सलाहकार (कृषि) नीति आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली/ अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/ संयुक्त सचिव, आर०के०भी०वाई०, कृषि भवन, नई दिल्ली/निदेशक (आर०के०भी०वाई०), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/अवर सचिव (आर०के०भी०वाई०) एवं संयुक्त सचिव (प्रसार) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
6/10/2020
कृषि निदेशक,

-सह- स्टेट नोडल पदाधिकारी, आर०के०भी०वाई०,
झारखण्ड, राँची।